



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112024-258721  
CG-DL-E-18112024-258721

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2024/कार्तिक 27, 1946

No. 175]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2024/KARTIKA 27, 1946

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

का.नि.आ. 175(अ).—केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 4 में, तारीख 14 नवम्बर, 2024, में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.नि.आ. 155(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2024, जिसमें पंचमढी छावनी बोर्ड में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट थी, के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप धारा (3) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कतिपय छावनी बोर्ड, जिसमें उस सारणी के स्तम्भ (3) में उपदर्शित सदस्य भी सम्मिलित हैं, के गठन को तारीख 30 नवंबर, 2024 से अधिसूचित करती है :-

सारणी

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड(ख) और खंड(ग) के अधीन छावनी बोर्ड का गठन करने वाले सदस्यों का नाम / पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	पंचमढी	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) रिक्त

[फा. सं. 14(47)/2023-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मिश्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2024

**S.R.O. 175(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O 155(E), dated 14<sup>th</sup> November, 2024 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 4, dated 14<sup>th</sup> November, 2024 containing the declaration varying Pachmarhi Cantonment Board, the Central Government hereby notifies the constitution of the Cantonment Board specified in column (2) of the Table given below consisting of members indicated in column (3) thereof, with effect from 30<sup>th</sup> November, 2024:-

**TABLE**

Serial Number	Name of Cantonment Board	Name/Designation of the Members constituting the Cantonment Board under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 13 of the said Act.
(1)	(2)	(3)
1.	Pachmarhi	(a) The Officer Commanding the Station (b) The Chief Executive Officer (c) Vacant

[F. No. 14(47)/2023-D(Q&amp;C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.